दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

(3/1)

पत्रांक : 1870/05/76/एक/2013–14 (84) दिनांक : 20 सितम्बर 2013

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–बदायूँ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013–14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। cnk;w

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई हैः– (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 ऊपरपारा में लाल पुल सम्पर्क मार्ग से मकान अहमद रजा व उसके आगे मकान नाजिम अंसारी तक एवं मो0 सोथा में सलीम के मकान तक सोथा खेल में आंवियों वाली गली में लाल के घर तक जली रफीक में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.620	13.310	1.480	11.830	PNB 6341000100003437
2	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 नाहर खॉं सराय में मन्दिर से टंकी तक गली आसिफ व लिंग गलियों तथा मो0 चौधरी सराय में इनामुल्ला के घर से आगे की ओर मनाजिर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.650	11.825	1.310	10.515	
3	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 कबूलपुरा में मस्जिद से छोटी करबला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.560	18.780	2.090	16.690	
4	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 ऊपरपारा में सोथा चौकी कबूलपुरा सम्पर्क मार्ग से बडे सरकार को जाने वाला मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.810	17.405	1.930	15.475	
5	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 नई सराय/नई बस्ती वार्ड नं0 23 की विभिन्न गलियों बलागत हुसैन, मुख्तारूददीन, शरीफजादे मैमू खॉं, हनीफ, नफीसा मेन रोड लताफत व लगी गलियों एवं नई सराय में असलम की गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.940	10.470	1.160	9.310	
6	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 कमग्रान, वार्ड नं0 26 में कोतवाली रोड से असलम/भूरे पेन्टर से मकान अफजल व लिंग गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.220	4.110	0.460	3.650	

3/2

7	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 ऊपर परा व रजा नगर, वार्ड नं0 4 व 5 में छोटे सरकार रोड / सम्पर्क मार्ग से लगी गलियों तथा मो0 श्री रामनगर कालेनी में जन्नत हाउस से महेश चन्द्र व मनोज गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.140	17.070	1.900	15.170	
8	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 कबूलपुरा द्वितीय में उझानी रोड सोत नदी पुल के पहले से कबूलपुरा तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.900	19.450	2.160	17.290	
9	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 हमीमगंज वार्ड नं0 12 व 15 में मस्जिद से काजी हाउस व अन्य गलियॉ वार्ड नं0 17 में अब्बासी कालेनी में गली साबिर व अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	38.250	19.125	2.130	16.995	
10	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	वार्ड नं0 20 में राजेन्द्र से एलिश मशी, नौशे से होली मिशन स्कूल व अलीशेर से पाकड़ तिराहा वार्ड नं0 21 में अनवार भाई के सामने चौक व गली तथा लगी गलियां वार्ड नं0 27 में हशमीपीर ज्यारत से टाल प्यारे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.590	17.295	1.920	15.375	
11	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 ऊपरपारा में वार्ड नं0 13 की विभिन्न गलियों वार्ड नं0 22 में लालपुल पुलिस चौकी के पीछे गली साकिर रहमानी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.560	18.780	2.090	16.690	
12	बदायूँ	न0पा0प0 बदायूँ	मो0 कबूलपुरा गौटियां मेंगली / मकान सलिम व लिंग गली राईस, मुन्नन शफीकमुददीन में मेन रोड से आबिल हुसैन व मुसब्बर के घर से फिरोज की दुकान की ओर गलियों में तथा मो0 कबूलपुरा गोटियां में श्री जफर के मकान से शफान व मिली गलियां, अब्दुल के मकान से बबलू के	28.690	14.345	1.590	12.755	
				363.93	181.965	20.22	161.745	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

(3/3)

दूरभाष— 2286709
2286710
नव चेतना केन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

3— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4 परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6— उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को एक माह में उलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक